5-7-23 पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित।
प्रकरण में बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी
मे अपनी बहस मे निवेदन किया कि
सहवन से बैचान नहीं हुआ, मौके पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

काबिज हूँ, बेदखल नहीं करने का आदेश दिलाया जावे, रजिस्ट्री अप्रार्थीगण द्वारा ही करवायी गयी है। वादग्रस्त भूमि के उपयोग-उपभोग, काश्त करने में अप्रार्थीगण बाधा, रूकावट कारित नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गैर खातेदारी के दौरान बेचान किया हुआ है, जो अवैधिक थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, निर्णय [illegible] 7-23 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

05.7.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)